न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0) धौलपुर

पीठासीन अधिकारी – डॉ साधना शर्मा (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या : 53/2021

जीसीएमएस संख्या: 2021/89

1. सारिन्धा पत्नि श्री शिवराम जाति जाटव निवासी ग्राम फौंदे का पुरा सरानी खेड़ा तहसील व जिला धौलपुर हाल निवासी मुख्य ग्राम रामनगरिया जगतपुरा तहसील सांगानेर जिला धौलपुर ....वादिया

बनाम

1. विद्यादेवी पत्नि रामजीतसिंह जाति जाटव निवासी ग्राम नगला भगत तहसील व जिला धौलपुर ....असल प्रतिवादी
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार धौलपुर ....तरतीवी प्रतिवादी
3. विजयकांता पत्नि सतीश कुमार जाति जाटव निवासी पचगांव तहसील व जिला धौलपुर ....प्रतिवादी

संशोधित दावा बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा तथा सादेश निर्देश

निर्णय दिनांक 14.07.2025

वादी ने विरूद्ध प्रतिवादीगण दिनांक 06.12.2021 को एक राजस्व वाद बाबत् बटवारा काश्त व स्थाई निषेधाज्ञा न्यायालय में पेश किया। जो बाद तहकीकात दिनांक 23.08.2024 को प्रांरम्भिक रूप से डिक्री किया गया, तथा तहसीलदार धौलपुर से विभाजन प्रस्ताव तलब किये गये। तहसीलदार धौलपुर ने पत्रांक 498 दिनांक 07.07.2025 से विभाजन प्रस्ताव न्यायालय में प्रेषित किये है।

विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया एवं वकील उभयपक्ष को सुना गया। वकील उभयपक्ष ने मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई, वकील उभयपक्ष ने विभाजन प्रस्ताव पर अपनी सहमति जाहिर की, एवं मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दावा वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

हमने वकील उभयपक्ष की बहस का मनन किया एवं तहसीलदार धौलपुर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजातों का अवलोकन किया विभाजन प्रस्ताव विवादित आराजी पर वर्तमान खातेदार काश्तकारों के दर्ज हिस्से अनुसार ही है। ऐसी स्थिति में दावा वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिक्री किया जाना न्यायोचित समझते है।

अतः आदेश है कि दावा वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिक्री किया जाकर पक्षकारों को विवादित आराजी खसरा नम्बर 1363/353 स्थिति ग्राम पुरानी छावनी तहसील व जिला धौलपुर में निम्नानुसार पृथक– पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है:–

पुरानी छावनी तहसील व जिला धौलपुर में निम्नानुसार पृथक– पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है:–

खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकवा
1. सारिन्धा पत्नि शिवराम हि0 पूर्ण जाति जाटव सा. फोदे का पुरा सरानी खेड़ा जिला धौलपुर	1363/353/1 पश्चिम दिशा	0.1138 है0
2. विद्यादेवी पत्नि रामजीत सिंह हि0 पूर्ण जाति जाटव सा. नगला भगत सरानी खेड़ा खातेदार	1363/353/2 पूर्व दिशा	0.1138 है0

कुल किता 2 रकवा 0.2276 हैक्टेयर बाकै ग्राम पुरानी छावनी तहसील व जिला धौलपुर कुल लगान 0.09 रूपये।

उपरोक्तानुसार ही पक्षकारों के खाते एवं लगान पृथक– पृथक कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। विवादित आराजी के कुल लगान 09 पैसे के बीस गुना राशि पर देय मुद्रांक कर 18 पैसे के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेश होने पर पर्चा डिक्री जारी हो पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 14.07.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(डॉ0 साधना शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
पदेन
सहायक कलक्टर मु0
धौलपुर